सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ़ा. सं. 26-11/53/2023-एनए-नौमनि

दिनांक 30.01.2024

नौमनि आदेश: 2024 का 03

विषय: अग्नि परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संहिता (एफ़टीपी कोड) में संशोधन और इसकी प्रयोज्यता - संबंधी।

जबकि, भारत सरकार ने समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन, 1974 का अनुसमर्थन किया है और यह कन्वेन्शन 25 मई 1980 को परिग्रहण के माध्यम से लागू हुआ। 1988 के प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित कन्वेन्शन 22 नवंबर 2000 को परिग्रहण के माध्यम से लागू हुआ। कन्वेन्शन का अनुच्छेद 1 कन्वेन्शन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए सरकार की सामान्य बाध्यकारिता को अनिवार्य करता है।

जबकि, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, यथासंशोधित, रूप में कन्वेन्शन को शामिल किया गया है और धारा 3 (37) में "सुरक्षा कन्वेन्शन" के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका आशय है समय - समय पर यथासंशोधित 1 नवंबर 1974 को लंदन में हस्ताक्षरित समुद्र में जीवन की सुरक्षा कन्वेन्शन। इसके अलावा, कन्वेन्शन में बताए गए अनिवार्य कोड और समय-समय पर इसके संशोधन प्रभावी हैं और जलयानों पर लागू हैं।

जबकि, मान्यता प्राप्त संगठनों (आरओ) को 26 दिसंबर 2014 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था और यथाविनिर्दिष्ट रूप से, कन्वेन्शन के अनुसार सर्वेक्षण और प्रमाणन के लिए प्रत्येक आरओ के साथ एक समझौता किया गया है। 2013 के नौमनि आदेश 6 में आरओ को सर्वेक्षण और प्रमाणन करते समय आईएमओ के अनिवार्य कोडों का पालन करने की सलाह दी गई है।

यह ध्यान में रखते हुए कि, आईएमओ ने समय-समय पर अग्नि परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड (एफटीपी कोड) में विभिन्न संशोधन जारी किए हैं, जो इस आदेश के साथ अनुबंध-1 में संलग्न हैं, जो भारतीय जलयानों पर लागू होते हैं। इसलिए हितधारकों को सलाह है कि संशोधित एफटीपी कोड को पूर्ण रूप से प्रभावी करने के लिए प्रावधानों के अनुपालन हेतु इस आदेश द्वारा दिशानिर्देश प्राप्त करें।

(श्याम जगन्नाथन)
नौवहन महानिदेशक

सेवा में,
नौमनि वेबसाइट के माध्यम से सभी हितधारक

(अस्वीकरण- हिन्दी या अंग्रेज़ी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।)

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in